

फिल्म सिटी को यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ने के लिए बनाए जाएंगे दो रैंप

भारी वाहन एक्सप्रेसवे से पहुंचेंगे फिल्म सिटी, निर्माण में आएगी छह करोड़ लागत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: इंटरनेशनल फिल्म सिटी को यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ने के लिए दो रैंप का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण पर यमुना प्राधिकरण 6.01 करोड़ रुपये खर्च करेगा। फिल्म सिटी के साथ दोनों रैंप का फायदा आवासीय व औद्योगिक सेक्टर को भी मिलेगा। साथ ही योडा क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क पर वाहनों के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इससे भविष्य में जाम की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगी।

यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-21 स्थित 230 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। 27 फरवरी को बेव्यू कंपनी के चेयरमैन बोनी कपूर जमीन का हस्तांतरण लेने सेक्टर-21 जाएंगे। वहीं प्राधिकरण फिल्म सिटी को यमुना एक्सप्रेस-वे से सीधे जोड़ने के लिए दो रैंप बनाने जा रहा है। यह रैंप 21 किमी पर भाईपुर गांव के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों साइट पर बनाए जाएंगे। एक रैंप एक्सप्रेस-वे पर चढ़ने व एक उतरने के लिए होगा। इससे प्रतिदिन हजारों वाहन चालकों के लिए आवागमन सुविधाजनक होगा। दोनों रैंप की लंबाई 480 मीटर व चौड़ाई 10.50 मीटर होगी। दोनों रैंप तीन-तीन लेन के होंगे। फिल्म सिटी में आने वाले भारी माल वाहन वाहनों को देखते हुए इन रैंप को अधिक चौड़ा बनाने का

मार्च में होंगी दो बोर्ड बैठक, एक को पहली

जासं, ग्रेटर नोएडा: यमुना प्राधिकरण मार्च में दो बोर्ड बैठक करेगा। इसमें प्राधिकरण की योजनाओं से लेकर आगामी वित्त वर्ष के बजट व संपत्ति की नई दरों को बोर्ड की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए नीति भी पहली बोर्ड बैठक में तय हो जाएगी। इसके बाद प्राधिकरण औद्योगिक भूखंड योजना निकाल सकेगा। प्राधिकरण की पहली बोर्ड बैठक एक मार्च को होगी। औद्योगिक विकास के लिहाज से यह बैठक अहम है। शासन से अनुमति के बाद नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक भूखंड आवंटन की नीति लागू कर चुके हैं, लेकिन यमुना प्राधिकरण दोनों से पिछड़ गया है। हालांकि प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव काफी पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन अनिल सागर के

फैसला किया गया है। पूर्व में जो रैंप बनें हैं वह दो-दो लेन के हैं। फिल्म सिटी में आने व जाने वाले वाहन यमुना एक्सप्रेस-वे से होते हुए सीधे आवाजाही कर सकेंगे।

उन्हें योडा क्षेत्र की सड़कों पर अधिक दूरी तय करने की जरूरत नहीं होगी। इस बारे में प्राधिकरण के सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया



यमुना प्राधिकरण कार्यालय • जागरण आर्काइव

चेयरमैन पद से हटने के कारण बोर्ड बैठक नहीं हो सकी और नीति लागू करने में पेच फंस गया था। योडा की एक मार्च की बैठक में औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति पर मुहर लगेगी। इसके तहत आठ हजार वर्गमीटर तक के भूखंडों का आवंटन नीलामी व इससे बड़े भूखंडों का साक्षात्कार से होगा। इसके अतिरिक्त कामगारों के लिए तीस वर्गमीटर भूखंड की योजना, सेक्टर 18 में दो सौ वर्गमीटर

कि फिल्म सिटी में भारी सामान की दुलाई की जरूरत होती है।

वाहनों का आवागमन अधिक रहता है, इसलिए फिल्म सिटी के लिए दो अतिरिक्त रैंप बनाने का फैसला किया गया है। यातायात का दबाव बढ़ने पर दो और रैंप बनाए जाएंगे। दोनों रैंप से आवासीय व औद्योगिक सेक्टरों को फायदा होगा।

के 276 भूखंडों की योजना के प्रस्ताव के अलावा बजट पुनरीक्षण, किसानों से जुड़े प्रस्ताव शामिल होंगे। 28 मार्च को होने वाली योडा की बोर्ड बैठक में आगामी वित्त वर्ष का खाका रखा जाएगा। नए साल के लिए बजट आवंटन के अलावा संपत्ति की नई दरों पर मुहर लगेगी। कैबिनेट से स्वीकृत होने के बाद प्राधिकरण बोर्ड के जरिये जमीन अधिग्रहण के लिए नई दरों को स्वीकृत देगा।

इसके शुरू हो जाने से प्राधिकरण की 60 मीटर चौड़ी सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा। साथ ही इससे प्राधिकरण क्षेत्र में बसावट होने पर जाम आदि की समस्या पैदा नहीं होगी। रैंप के जरिये वाहन सीधे एक्सप्रेस-वे से होकर आगरा व दिल्ली की ओर आवाजाही कर सकेंगे।

28 मार्च की बोर्ड बैठक में आगामी वित्त वर्ष का बजट और नई आवंटन दरों पर लगेगी मुहर